



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221614
CG-DL-E-08092020-221614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]
No. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2020/भाद्र 17, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2020/BHADRA 17, 1942

विदेश मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2020

सा.का.नि. 550(अ).—उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का नाम उत्प्रवासन (संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उत्प्रवासन नियम, 1983 में, 8 (क) में पचास लाख को पच्चीस लाख से, 8 (ख) और 8 (ग) में आठ लाख को चार लाख से प्रतिस्थापित करके नियम 8 को दिनांक 31 मार्च 2021 तक संशोधित किया जाएगा।

3. उत्प्रवासन नियम, 1983 में, नियम 9 क के तहत, निम्नलिखित पाठ को अंत में अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्

“सभी भर्ती एजेंटों (आरए) जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) दिनांक 30 मार्च 2021 तक समाप्त हो रहे हैं, को उनके द्वारा लाइसेंसों के लिए आवेदन किए बिना या शुल्क का भुगतान किए बिना उनके लाइसेंसों को दिनांक 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ाया जाता है। यह अन्य क्षेत्रों में अधिस्थगन की तरह ही है और इसे कोविड-19 के कारण सभी

व्यावसायिक कार्यकलापों के लगभग पूर्ण रूप से बंद होने के मद्देनजर किया गया है। वे आए जो इस समय-विस्तार के लिए पात्र हैं, वे अपनी आरसी की समाप्ति की तारीख को 31 मार्च, 2021 तक ई-माइग्रेट प्रणाली में आगे बढ़ाने के लिए ओई और पीजीई प्रभाग में आधिकारिक अवर सचिव को एक ईमेल भेजेंगे।

4. उत्प्रवासन नियम, 1983 में, नियम 10 (1) (xv) (क) को पचास वर्ग मीटर के स्थान पर पर्याप्त क्षेत्र को प्रतिस्थापित करके दिनांक 31 मार्च 2021 तक संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. जेड-11025/75/2017-ओई-III]

योगेश्वर सांगवान, संयुक्त सचिव और उत्प्रवासी महासंरक्षक

नोट: प्रमुख नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 30 दिसंबर, 1983 की अधिसूचना संख्या एस.ओ 941 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किए गए थे:

1. का.आ. 665 (अ), दिनांक 10 सितंबर, 1986;
2. सा.का.नि.111 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 1987;
3. सा.का.नि. 375 (अ), दिनांक 23 मार्च, 1989;
4. का.आ.111 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
5. का.आ.159 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 1996;
6. का.आ.526 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 1996;
7. सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2002;
8. का.आ.1205 (अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2003;
9. सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2004;
10. सा.का.नि. 773 (अ), दिनांक 25 नवंबर, 2004;
11. सा.का.नि. 50 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 2006;
12. का.आ.289 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2006;
13. का.आ.856 (अ), दिनांक 6 जून, 2006;
14. का.आ.2161 (अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2006;
15. का.आ.366 (अ), दिनांक 14 मार्च, 2007;
16. का.आ.776 (अ), दिनांक 18 मई, 2007;
17. सा.का.नि. 658 (अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2007;
18. सा.का.नि. 111 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
19. सा.का.नि. 511 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2009;
20. सा.का.नि. 726 (अ), दिनांक 21 सितंबर, 2015;

21. सा.का.नि. 1505 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2017;
--

22. सा.का.नि. 1510 (अ), दिनांक 14 दिसंबर, 2017;

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2020

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983, namely:-

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Emigration (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Emigration Rules, 1983, the rule 8 shall be amended till 31st March 2021 by replacing fifty lakh with twenty five lakh in 8(a), eight lakh with four lakh in 8(b) and 8(c).

3. In the Emigration Rules, 1983, under rule 9A, the following shall be inserted at the end, namely

“All Recruiting Agents (RAs) whose registration certificate (RCs) are expiring upto 30th March 2021 are given an extension of licenses upto 31st March 2021, without requiring them to apply or pay fees for this extension. This is like a moratorium in other sectors and done in view of almost complete cessation of all business activities due to Covid-19. The RAs who are eligible for this extension shall send an email to the jurisdictional Under Secretary in OE and PGE Division for getting their RC expiry date extended till 31st March, 2021 in eMigrate system.

4. In the Emigration Rules, 1983, Rule 10(1) (xv)(a) shall be amended till 31st March 2021 by replacing fifty square meters with adequate area.

[F. No. Z-11025/75/2017-OE-III]

YOGESHWAR SANGWAN, Jt. Secy. & Protector General of Emigrants

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification No. S.O. 941(E), dated the 30th December, 1983 and were subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S.O. 665(E), dated the 10 th September, 1986;

2. G.S.R. 111(E), dated the 24 th February, 1987;
--

3. G.S.R. 375(E), dated the 23 th March, 1989;

4. S.O. 111(E), dated the 8 th February, 1996;

5. S.O. 159(E), dated the 28 th February, 1996;
--

6. S.O. 526(E), dated the 22 th July, 1996;
--

7. G.S.R. 713(E), dated the 18 th October, 2002;

8. S.O.1205(E),dated the 14 th October, 2003;
--

9. G.S.R 143(E), dated the 26 th February, 2004;

10. G.S.R. 773(E), dated the 25 th November, 2004;

11. G.S.R. 50(E), dated the 6 th February, 2006;
12. S.O.289(E), dated the 7 th March, 2006;
13. S.O. 856(E), dated the 6 th June, 2006;
14. S.O. 2161(E), dated the 28 th December, 2006;
15. S.O. 366(E), dated the 14 th March, 2007;
16. S.O. 776(E), dated the 18 th May, 2007;
17. G.S.R. 658(E), dated the 15 th October, 2007;
18. G.S.R. 111(E), dated the 8 th February, 1996;
19. G.S.R. 511(E), dated the 9 th July, 2009;
20. G.S.R. 726(E), dated the 21 st September, 2015;
21. G.S.R. 1505(E), dated the 12 th December, 2017;
22. G.S.R. 1510(E), dated the 14 th December, 2017;